न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठसीन अधिकारी :– हनुमान सिंह राठौड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 92/2019 दिनांक 26.11.2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. केसाराम पुत्र श्री लादूराम जाति सरगरा उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम लोरड़ी पंडितजी तहसील व जिला जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश प्रजापति उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक 26.11.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है :– ग्राम रलावास पटवार हल्का लोरड़ीपंडितजी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 132/1 में रकबा 15 बीघा भूमि किस्म बारानी – III की आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी व उसके भाईयों– ओमाराम, पुखराज, प्रेमाराम, कानाराम पिसरान्! लादूराम साकिन लोरड़ीपंडितजी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जो उक्त भूमि जमाबंदी विक्रम सम्वत् 2059 से 2062 के खाता संख्या नया 8 पुराना 7 से स्पष्ट है। उपरोक्त भूमि के खातेदारी में लिपीकीय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम केसाराम के स्थान पर केलाराम अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक व अभिलेख अनुसार नाम केसाराम है जो उक्त भूमि के मुतालिक जारी पास बुक, एवं अन्य अभिलेख यथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में खुल बैंक खाता एवं बैंक द्वारा जारी पास बुक, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रार्थी द्वारा अपने रहवासीय परिसर में अपने नाम से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. से लिये गये घरेलु विद्गुत कनेक्शन के बिल में, परिवार की आय कम होने संबंधी श्रीमान् तहसीलदार द्वारा जारी प्रपत्र में भी प्रार्थी का नाम केसाराम ही अंकित है। उक्त तमाम दस्तावेजात की प्रतियां पत्रावली में शामिल है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना यह है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रलावास पटवार हल्का लोरड़ीपंडितजी भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 132/1 रकबा 15 बीघा भूमि के जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रेकर्ड इत्यादि में जहां कहीं भी प्रार्थी का नाम केलाराम अंकित है

Scanned by CamScanner

उसके स्थान पर प्रार्थी वास्तविक नाम जरिये दुरूस्ती केसाराम अंकित कराने के आदेश फरमावें एवं राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार जोधपुर की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार जोधपुर की ओर से जवाब पेश किया है जो इस प्रकार है :– पटवार मण्डल लोरड़ी पण्डित जी के ग्राम रलावास के खसरा नम्बर 132/1 रकबा 15.00 बीघा में केलाराम पुत्र लादुराम सह खातेदार दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 71 में लादूराम फोत के स्थान पर ओमाराम, पुखराज, केसाराम, प्रेमाराम, कानाराम पिता लादूराम कोम सरगरा दर्ज बाकि दस्तावेजो के संबंध में प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय सुनी गयी। नामान्तरकरण संख्या 71 स्वीकृति के वक्त प्रार्थी का नाम केसाराम इन्द्राज किया था। लेकिन वर्तमान चौसाला जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 से लगातार में हल्का पटवारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.11.2019 में प्रार्थी केसाराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश केलाराम दर्ज है जो एक सद्भाविक भूल दर्शित होती है। जिसकी दुरूस्ती किये जाने का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रलावास पटवार हल्का लोरड़ी पण्डित जी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील जोधपुर की जमाबंदी सवंत् 2059 से 2062 से लगातार खेवत खतौनी नया 8 पुराना 7 में इन्द्राज खसरा नम्बर 132/1 रकबा 15 बीघा में दर्ज सहखातेदार केलाराम के स्थान पर केसाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सिंह राठौड़ आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2019.12.31 09:51:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: